संजय कुमार सिंह
निदेशक (वाणिज्य)

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14– अशोक मार्ग, लखनऊ –01
E-mail : directorcomm@uppcl.org
Tel No. – (0522) 2287806 (O)
(Fax) – (0522) 2287806
CIN NO:- U32201UP1999SGC024928

पत्रांकः– /मु0अ0(वा0 एवं ऊ0ले0)/वा0–1/नये विद्युत संयोजन दिनांक/जुलाई, 2017

1. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पूर्वांचल/केस्को।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
3. निदेशक (विद्युत सुरक्षा) उ0प्र0 शासन, विद्युत सुरक्षा, निदेशक, विभूति खण्ड–2, लखनऊ।
4. समस्त मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, डिस्काम/मुख्य अभियन्ता, केस्को।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल/विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, डिस्काम।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड/विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, डिस्काम।

विषय :– नये विद्युत संयोजनों को त्वरित गति से निर्गत किये जाने हेतु "सुगम संयोजन योजना"।

प्रायः यह देखा गया है कि नये विद्युत संयोजन निर्गत करने में आवश्यकता से अधिक समय लगता है इस विलम्ब के कारण आवेदकों को विद्युत संयोजन या तो निर्गत नहीं हो पाता अथवा वे अनाधिकृत रूप से विद्युत का उपभोग करने लगते हैं। इस तथ्य के दृष्टिगत वर्तमान व्यवस्था में निम्नवत् प्रक्रिया के अनुसार संयोजन निर्गत करने की व्यवस्था प्रतिपादित की जाती है :–

1. **नये संयोजन लेने हेतु आवश्यक दस्तावेज :–**

उपभोक्ताओं को सहज रूप से अधिक से अधिक संयोजन दिये जाने के उद्देश्य से नये संयोजन के आवेदन हेतु निम्न की आवश्यकता होगी :–

(क) पहचान प्रमाण पत्र के रूप में –

आधार कार्ड या आधार कार्ड की अनुपस्थिति में वोटर आई0डी0।

(ख) भवन स्वामित्व प्रमाण पत्र के रूप में निम्न में से किसी एक अभिलेख की आवश्यकता होगी।

भवन स्वामी के लिए –

i) भवन की रजिस्ट्री।

ii) कब्जा प्रमाण पत्र।

iii) कुटुम्ब रस्जिटर।

iv) सम्बन्धित ग्राम के ग्राम प्रधान से परिसर के स्वामी का प्रमाण पत्र।

v) सरकारी आवास हेतु सरकार/विभाग का एलोटमेन्ट लेटर।

किरायेदार के लिए

परिसर के स्वामी का सहमति पत्र या किरायेदारी का प्रमाणपत्र।

(ग) यदि आवेदक के पास (ख) में उल्लिखित उपरोक्त कोई दस्वावेज नहीं है तो प्री–पेड मीटर लगाकर संयोजन निर्गत किया जाये।

(घ) 5 कि0वा0 भार तक घरेलू बत्ती पंखा के संयोजन मात्र संलग्न बन्ध–पत्र पर निर्गत किये जा सकते है। बन्ध–पत्र की अनुपस्थिति में अनुज्ञप्तिधारी स्वयं परिसर का निरीक्षण कर 7 दिन में संयोजन निर्गत करेगा।

2. **नये संयोजन निर्गत करने हेतु कनेक्शन चार्जेज का किस्तों में प्राविधान** :–

5 कि0वा0 भार तक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के घरेलू बत्ती पंखा उपभोक्ताओं को नये संयोजन निर्गत करने हेतु चार्जेज किश्तों में मा0 नियामक आयोग द्वारा दिनांक 16.06.2017 को निर्गत आदेश के Annexure-A and Annexure-B के अनुसार लिये जायेंगे। Annexure-A and Annexure-B की प्रति संलग्न है। मा0 नियामक आयोग द्वारा दिनांक 25.05.2017 को निर्गत आदेश के अनुपालन में 5 कि0वा0 भार तक के घरेलू बत्ती पंखा के उपभोक्ताओं से सिस्टम लोडिग चार्जेज नहीं लिये जायेगे। उपभोक्ता को विभाग द्वारा सामान्यतया Unarmoured केबिल लगाकर संयोजन निर्गत किया जायेगा किन्तु यदि उपभोक्ता स्वयं केबल प्रदान करना चाहता है, तो उसे स्वीकार किया जायेगा।

3. **स्थापित एल0टी0 मेन्स का विस्तारीकरण** :–

दिनांक 01.07.17 तक स्थापित एल0टी0 मेन्स से यदि तीन आवेदक एक साथ नये संयोजन हेतु आवेदन करते हैं जो यदि एल0टी0 मेन्स को 40 मीटर विस्तार करने के बाद कॉस्ट डाटा बुक के चैप्टर 5A के प्रस्तर 10 के अन्तर्गत संयोजन निर्गत करने की अर्हता में आ जाते हैं तो एल0टी0 मेन्स के ऐसे विस्तार का खर्चा जिसमें स्थापित होने वाले पोल की कीमत भी सम्मिलित है, को विभाग द्वारा वहन किया जायेगा और आवेदकों से उक्त विस्तारीकरण का खर्च नहीं लिया जायेगा। एल0टी0 लाईन के विस्तारीकरण में आने वाला खर्च विभाग द्वारा वहन किया जायेगा। आवेदकों से उपरोक्तानुसार विस्तारीकरण का खर्च नहीं लिया जायेगा। विभाग द्वारा विस्तारीकरण में आने वाले खर्च को ए0आर0आर0 में सम्मिलित किया जायेगा। 15 अदद आवेदकों तक एक साथ नये संयोजन हेतु आवेदन करने की दशा में विभागीय खर्चे पर 3 उपभोक्ता प्रति खम्भे के आधार पर 5 खम्भे की एल0टी0 लाईन का विस्तार कर नये संयोजन निर्गत किये जायेंगे। उपरोक्तानुसार नये संयोजन निर्गत करने हेतु परिवर्तको की क्षमतावृद्धि/नये परिवर्तक बिजनेस प्लान अथवा आंतरिक संसाधानों से लगाये जायेंगे आवेदकों से इसका चार्ज नहीं लिया जायेगा। स्पष्ट है कि 5 कि0वा0 के घरेलू

उपभोक्ता को संयोजन के समय दिये जाने वाली एस्टीमेट की प्रणाली को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया एवं इस हेतु तन्त्र का विकास का सम्पूर्ण व्यय विभाग द्वारा किया जायेगा। ऐसे उपभोक्ताओं को सिर्फ अपने संयोजन शुल्क को किस्तों में जमा करना होगा। यदि किसी परिसर को संयोजन देने में तकनीकी साध्यता (टेक्निकल फीजिबिल्टी) की समस्या लग रही है तो ऐसी स्थिति में भी संयोजन सिर्फ अधीक्षण अभियन्ता के आदेश पर ही मना किया जायेगा। उपरोक्त व्यवस्था मात्र स्थापित एल0टी0 मेन्स के आस–पास के क्षेत्रों में संयोजनों के नियमितीकरण के उद्देश्य हेतु है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र के अविद्युतीकृत मजरे एवं शहरी क्षेत्र के अविकसित कालोनियॉ उक्त व्यवस्था से आवृत्त नहीं होंगे।

4. **<u>कैम्प लगाकर नये संयोजन निर्गत करना</u>** :–

घरेलू बत्ती पंखा के संयोजन गांवों या शहर के बाहर विकसित होने वाले क्षेत्रों में कैम्प लगाकर निर्गत किये जायेंगे जिसकी कार्ययोजना निम्नवत् होगी :–

(क) गांवो या शहर के बाहर विकसित होने वाले क्षेत्रो में नये संयोजनों हेतु कैम्प लगाने का दिन खण्ड के अधिशासी अभियन्ता द्वारा निर्धारित किया जायेगा। प्रत्येक गाँव में दो माह में एक बार कैम्प निश्चित लगाया जायेगा। उपरोक्तानुसार जहॉ कैम्प लगाया जायेगा उस क्षेत्र अथवा गाँव को पूर्ण रूपेण संतृप्त किया जायेगा।

(ख) निर्धारित दिवस पर कैम्प लगाने के 02 दिन पूर्व सम्बन्धित उपकेन्द्र के अवर अभियन्ता अपने लाईन स्टॉफ के साथ पोषित क्षेत्रों में नये संयोजन हेतु आवश्यक प्रचार प्रसार करते हुए आवेदन पत्र वितरित करेंगे जिससे कि 02 दिन में आवेदकों द्वारा आवश्यक अभिलेख तैयार कर वॉछित धनराशि की व्यवस्था कर ली जाय।

(ग) कैम्प में मीटर एवं केबिल की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने का कार्य निविदा द्वारा चिन्हित ऐजन्सियों के माध्यम से अवर अभियन्ता सुनिश्चित करेगें। योजना के आरभ में यदि ऐसी ऐजन्सिया चिन्हित ना हो पाई हो तो कैम्प के निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व सम्बन्धित अवर अभियन्ता स्वयं पर्याप्त मात्रा में मीटर एवं केबिल की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे, जिससे संयोजन सरलता पूर्वक निर्गत किये जा सके।

(घ) कैम्प में निर्धारित तिथि पर प्रातः 9 बजे से सांय 5 बजे तक नये संयोजन देने का अभियान चलाया जायेगा। उ0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2005 के उपखण्ड 7.7.2 के अनुरूप आवेदक द्वारा नये संयोजन के प्रभार जमा करने के तिथि से जहाँ खम्भा विद्यमान है वहाँ संयोजन 7 दिनों के भीतर एवं जहाँ खम्भे की अपेक्षा है वहाँ तीस दिन के भीतर संयोजन निर्गत किया जायेगा।

(ङ) उपभोक्ता से आधार नं0 व मोबाईल नं0 भी एकत्र किये जायेंगे लेकिन यह शर्त संयोजन देने में बाधा नहीं मानी जायेगी।

(च) ऑन लाइन संयोजनों को बढ़ावा दिया जायेगा।

(छ) अगले 02 कार्य दिवस के अन्तर्गत सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा कैम्प में निर्गत संयोजनों से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण एवं मीटर सीलिंग प्रमाण पत्र सहित सम्पूर्ण विवरण उपखण्ड अधिकारी को लेजरीकरण हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। उपभोक्ता का प्रथम बिल निर्गत होने के उपरान्त ही संयोजन निर्गत करने की प्रक्रिया पूर्ण मानी जायेगी।

(ज) कोई भी संयोजन निर्गत करने से मना नहीं किया जायेगा यदि अपरिहार्य स्थिति में मना किया जाता है तो सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) के स्तर पर संयोजन मना करने का निर्णय लिया जायेगा।

संलग्नकः यथोपरि

(संजय कुमार सिंह)
निदेशक (वाणिज्य)

पत्रांकः–203/मु0अ0(वा0 एवं ऊ0ले0)/वा0–1/नये विद्युत संयोजन/तद्दिनांक :– 03-07-2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (कारपोरेट प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. निदेशक (कार्य एवं परियोजना), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. समस्त निदेशकगण, मध्यांचल–लखनऊ/पश्चिमांचल–मेरठ/दक्षिणांचल–आगरा/पूर्वांचल–वाराणसी/केस्को–कानपुर।
9. अधिशासी अभियन्ता (वेब), शक्ति भवन, लखनऊ।

Sanjay 3/7/17

(संजय कुमार सिंह)
निदेशक (वाणिज्य)

Annexure-A

New Service Connection Charges(Urban Consumer)

Load in KW	Cable Category	Cost of Cable (Av. 30 mtr.)	Processing Fees	Security Domestic L/F	Meter Cost	Service Line Fixed Charges upto 40 Meter Cable Service Length	Total Charges for Light Fan Domestic Connection (40 Meter Limit) (3+4+5+6+7)	Initial Payment	Balance	Monthly Instalment	No. Of Month
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Without Cable		50	300	980	425	1755	155	1600	100	16
	With un armoured cable (2x4 Sq. mm)	480	50	300	980	425	2235	255	1980	110	18
	With armoured cable (2x4 Sq. mm.)	1200	50	300	980	425	2955	255	2700	150	18
2	Without Cable		100	600	980	425	2105	185	1920	120	16
	With un armoured cable (2x4 Sq. mm)	480	100	600	980	425	2585	335	2250	125	18
	With armoured cable (2x4 Sq. mm.)	1200	100	300	980	425	3305	335	2970	165	18
3	Without Cable		100	1200	980	425	2705	305	2400	150	16
	With un armoured cable (2x6 Sq. mm)	870	100	1200	980	425	3575	425	3150	175	18
	With armoured cable (2x6 Sq. mm.)	1500	100	1200	980	425	4205	605	3600	200	18
4	Without Cable		100	1600	980	425	3105	305	2800	175	16
	With un armoured cable (2x6 Sq. mm)	870	100	1600	980	425	3975	555	3420	190	18
	With armoured cable(2x6 Sq. mm)	1500	100	1600	980	425	4605	645	3960	220	18
5	Without Cable		100	2000	2959	2041	7100	1100	6000	375	16

नोट :– आवेदक को सर्विस केबिल स्वयं क्रय करने का विकल्प होगा।

(S. K. Agarwal)

member

(Desh Deepak Verma)

Chairman

Annexure-B

New Service Connection Charges(Rural Consumer)

Load in KW	Cable Category	Cost of Cable (Av. 30 mtr.)	Processing Fees	Security Domestic L/F	Meter Cost	Service Line Fixed Charges** upto 40 Meter Cable Service Length	Total Charges for Light Fan Domestic Connection (40 Meter Limit) (3+4+5+6+7)	Initial Payment	Balance	Monthly Instalment	No. Of Month
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Without Cable		50	100	980	150	1280	80	1200	75	16
	With un armoured cable (2x4 Sq. mm)	480	50	100	980	150	1760	140	1620	90	18
	With armoured cable (2x4 Sq. mm.)	1200	50	100	980	150	2480	230	2250	125	18
2	Without Cable		100	200	980	150	1430	230	1200	75	16
	With un armoured cable (2x4 Sq. mm)	480	100	200	980	150	1910	290	1620	90	18
	With armoured cable (2x4 Sq. mm.)	1200	100	200	980	150	2630	380	2250	125	18
3	Without Cable		100	1200	980	425	2705	305	2400	150	16
	With un armoured cable (2x6 Sq. mm)	870	100	1200	980	425	3575	425	3150	175	18
	With armoured cable (2x6 Sq. mm.)	1500	100	1200	980	425	4205	425	3780	210	18
4	Without Cable		100	1600	980	425	3105	305	2800	175	16
	With un armoured cable (2x6 Sq. mm)	870	100	1600	980	425	3975	465	3510	195	18
	With armoured cable(2x6 Sq. mm)	1500	100	1600	980	425	4605	465	4140	230	18
5	Without Cable		100	2000	2959	2041	7100	1100	6000	375	16

नोट :– आवेदक को सर्विस केबिल स्वयं क्रय करने का विकल्प होगा।

(S. K. Agarwal)

Member

(Desh Deepak Verma)

Chairman